हाक स्यय की पूर्व-प्रकायनी के विना खाक बारा भेजे जाने के लिये धनुमतः धनुमति-पद्म ब. भोपाल-505/डब्ल्यू. वी.



पंजी कमाक मोगाल विवीखन 122](एम. पा.)

(असाधारण) [ि] अधिकार् से अकारितं ।

411]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अक्टूबर 1982- आश्वित 8: शके 1904

विधि और विधायी कार्य विभा .

भोपाल, दिनांक 30 अवट्बर 1932

क. 2005-इन्कीस-अ(प्रा.).---मङाप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाक 30 अक्टूबर 1982 की राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी ह, एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाणित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वि. मा. ग्रागवण, उपसचिव.

मध्यप्रदेश ग्रधिनयम क्रमांक ३७ सन् १६ दर.

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ऋषिनियम, १९५२। विषय-सूची.

धाराएं:

भ्रव्याय १ -- शारिम्भक

- संक्षिप्त नाम श्रौर विस्तार.
- परिभाषाएं.

ग्रव्याय रि—ानगम की स्थापना, उसकी पूंजी तथा उसका प्रबंध

- ३. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एव कुक्कुट विकास निगम की स्थापना तथा उसका निगमन.
- निगम का प्रधान कार्यालय.
- नियम की पंजी.

म्रध्याय ३---निगम का प्रबन्धः

- बोर्ड का गठन.
- निगम का निदेशक होने के लिए निरहता.

- नामनिदिष्ट निदेशकों द्वारा पद का रिक्त किया जाना.
- प्रबन्ध निदेशक.
- प्रबन्ध निदेशक क पः में ग्राकस्मिक रिक्तियां.
- निदेशकों का पारिश्रामक.
- १३. बोर्ड का स नलने.
- बोर्ड का या उसक सामात का सदस्य कतिपय मामलों में भाग नहीं लेगा या उनमें मत नहीं दिया. बोर्ड की समितिरा
- प्रबन्ध ।नदेशक नियुक्ति प्राधिका न हागा
- सरकारी विभाग स निगम को स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की सेवा की शते.

अध्याया। ४--- नगम का का मका जात्वा इवेड्ड घार जिन्हें निगम ले सकेगा.

- ९८. वह कामकाज जो निमम कर सकेगा.
- निगम की उड़ियार लेने की शक्ति.
- २० निषिधों के ग्रन्य स्रोत

ग्रघ्याय ५-परियोजनामा का निष्यं दनः

संकर्मी का निष्पादन.

ग्रम्याय २—वित्तीय प्राक्कलन, निष्ट्रियां, लेखे तथा संपरीक्षाः

- क्रियाकलापो का कार्यक्रम तथा विनीय प्राक्कलन का प्रस्तत किया जाना.
- २३. निगम की निधि.
- 'नगम के तुलनपत्नों झादि का तैयार किया जाना 58.
- ध्रिधिशेष लाभ का भ्रावंटन. 24.
- लेख तथा सपरा गा. २६
- विवाणियां, 50

ग्रच्याय ७ — प्रकीर्ण-Company of the second s

- २ अ. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.
- सरकारी कर्मचारियों के निगम को स्थानान्तरण, 35
- ३०. निगम का समापन.
- निदेशक की क्षतिपृति.
- निदेशको की नियुक्ति में बृटियां होने के कारण कार्यों ग्रादि का ग्रविधिमान्य त होना 39.
- निमम के कर्भचारी-वृद लोक सेवक होंगे.
- इस अधिनियम के प्रधीन की कर कार्रवाई का सरक्षण.
- विश्वस्तता तथा भोपनीयता की घोषणा. 34.
- शक्तियों व प्रत्यायाजन.
- नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.
- विनियम बनाने की निगम की शक्ति.
- निरसन. 38.

मध्यप्रदेश प्रधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १६८२.

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ग्रिधिनियम, १६८२

[दिनांक ३० अक्टूबर १६६२ को राज्यभाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत (ग्रसाधारण) में दिनांक ३० अक्टूबर १६६२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

राज्य के पशुधन एवं कुक्कुट संसाधनों का विकास करने त्या उनके वज्ञानिक प्रबन्ध के लिए व्यवस्था करन की दृष्टि से ग परियोजनाम्नों के निष्पादन के लिए एक निगम की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के तैतीपत्र वर्ष में मध्यप्रदेश तिशान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह ग्राधिनियमित हो:---ग्रध्याय १---प्रारंभिकः

- ৭. (৭খু) इत्र]प्रधिनियम का संभिन्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम प्रधिनियम संक्षिप्त नाम श्रीर বুইনে২ है.
 - (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.
 - २. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अयेक्षित न हो,-

परिभाषाई.

- (क) "बैंक" से अभिप्रेत है --
 - (एक) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १६४६ (१६४६ का सं. १०)में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कस्पनी;
 - (दो) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ (१९३४ का सं. २) में यथापरिभाषित कोई अनुसूचित बैंक;
 - (तीन) मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) में यथापरिमाषित कोई वित्तदायी बैंक;
- (ख) "बोर्ड" से अभिन्नेत है धारा ७ के अधीन गठित किया गया निगम का निदेशक बोर्ड;
- (ग) 'वित्तदायी संस्था'' से भ्रभिप्रेत है भारत में स्थापित कोई कानूनी निगम या अन्य निगमित निकाय जिसके उद्देश्यों में से एक उद्दश्य भारत में कृषि का वित्तपोषण करना हो और जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वित्तदायी संस्था के रूप में अधिसूचित करे;
- (घ) "भूमि" का वह अर्थ होगा जो मध्यप्रदश लैण्ड रेवेन्यू कोड, १६५६ (क्रमांक २० मूसन् १६५६) में उस अभिव्यक्ति क लिए किया गया है;
- (ङ) "निगम" से अभिन्नेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम;
- (च) "परियोजना" से अभिप्रेत है धारा २२ के अधीन अनुमोदित पशुधन एवं कुक्कुट विकास की कोई परि-योजना था स्कीम;

- (छ) "विनियम" स स्रभिन्नेत है निगम द्वारा धारा ३८ के अधीन बनाए गए विनियम;
- (ज) "वर्ष" से अभिप्रेत है प्रतिवर्ष १ जुलाई से प्रारंभ होने वाली तथा ३० जून को समाप्त होने वाली कालावधि.

अध्याय २-- निगम की स्थापना, उसकी पूँजी तथा उसका प्रबन्ध.

मध्यप्रवेश राज्य पशु-धन एथं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना तथा उसका निगमन.

- ३. (१) ऐसी तारीख से, जिस राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निगम की स्थापना की आयगी जो मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के निगम से जाना जायगा.
- (२) निगम पूर्वीवत नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका णाष्ट्रवत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जिसे इस अधिनियम के छपबन्धों के अध्यधीन रहतं हुए, जंगम तथा स्थप्तर दोनों प्रकार की संपत्ति अजित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी और जो उन्तर की नाम से वाद चलाया जायगा.

निगमं का प्रधान कार्यालय.

४. निगम का प्रधान कार्यालय भोपाल में होगा.

वियम की पूँजी,

- ४. (१) निगम की प्राधिकृत पूंजी बैतो करोड़ रुपए से ग्रनिधक ऐसी राणि की होगी जोकि राज्य सरकार, समय-समय पर नियत करे.
- (२) राज्य सरकार को यह शक्ति होगी कि वह उस राशि के संबंध में, जिसका कि प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निगम की पूंजी के रूप में किया जाय, ऐसे निवन्धन तथा गर्ते अधिरोपित करे जैसी कि वह ठीक समझे.

ग्रध्याय ३---निगम का प्रबन्ध.

प्रबन्ध.

- ६. (१) तिगम के कार्यकलान तथा कारवार का साधारण ग्रधीक्षण, निदेशन तथा प्रबन्ध निदेशक-बोर्ड में निहित होगा जो ऐसी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसे समस्त कार्य ग्रीट बातें कर सकेगा जिनका कि प्रयोग निगम द्वारा इस ग्रधिनियम के ग्रधीन किया जा सकता है या जो निगम द्वारा इस ग्रधिनियम के ग्रधीन की आ
- (२) निदेशक-बोर्ड, अपने कृत्यों का पालन करने में, लोकहित का ध्यान रखते हुए, कारबार संबंधी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा और नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से मार्गदिशित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जायं.

बोर्ड का गठन.

- ७. (१) निगम का निदेशक-बोर्ड, ग्रध्यक्ष, जो कि राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायगा, तथा निष्कित ग्रन्य निदेशकों से मिलकर बनेगा, ग्रर्थात् :--
 - (एक) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग, और यदि कोई सचिद न हो तो' उस विभाग का विशेष सचिव, जो उपाध्यक्ष होगा;
 - (दो) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नाम निर्देशिती जो उप सचिव की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;
 - (तीन) संचालक, पशु-चिकित्सा सेवाएं, मध्नप्रदेश;
 - (चार) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां मध्यप्रदेश;
 - (पांच) धारा १० के अधीन नियुक्त किया जाने वाला प्रबन्ध निदेशक;
 - (छः) बंकों तथा वित्तदायी संस्थाय्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;
 - -(सात-) पशुधन एवं कुक्कुट त्रिकास के बारे में त्रिशेष ज्ञान था व्यावहारिक श्रनु व रखने वाला एक निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जायगा;
 - (आठ) पश्धन एवं कुक्कुट उत्पादन तथा विषणन का व्यावहारिक श्रनुभव रखने वाले दो निदेशक, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिविध्ट किए जायंगे;

- (नौ) पशुधन एवं कुक्कुट विषयक व्यावहारिक अनुभव रखने वाला अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिदिष्ट किया जाएगा;
- (दस) जवाहरलाल नेहरू श्रीष विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, जो कुलपित की सिकारिश पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा.
- (२) म्राध्यक्ष या कोई नामनिर्दिष्ट निदेशक उसे नामनिर्दिष्ट करने वाले प्राधिकारी के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु उसके पद की अवधि उसके नामनिर्देशन की प्रधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष से म्राधिक की नहीं होगी. तथापि, म्राध्यक्ष या कोई नामनिर्दिष्ट निदेशक, कमशः राज्य सरकार को तथा बोर्ड के म्राध्यक्ष को स्वहस्ताक्षरित पत्र भेजकर, न्य्रपना पद किसी भी समय त्याग सकेगा, और त्यागपत्र उसके प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगाः
- (३) अध्यक्ष या किसी नामनिर्विष्ट निदेशक की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा पद त्याग कर दिये जाने, उसके निर्दाहत हो जाने या उसे हटाये जाने की दशा में, वह रिकित नामनिर्देशन द्वारा यथासंभव शीघ्र भरी जाएगी.
- द. (१) कोई भी व्यक्ति निगम के निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने या नियुक्त किये जाने के लिये तथा निगम का निदेशक पनिर्म का निदेशक होने के लिये निर्शहत होगा---

 - (ख) यदि वह विश्वत-चित्त का है ग्रीर सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित कर दिया जाता है; या
 - (ग) यदि उसे पशुओं के प्रति क्रांता का निवारण ग्रधिनियम, १९६० (१९६० का सं. ५९), सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार स्लाटर ग्राफ एनीमत्स एक्ट, १९१५ (क्रमांक ४ सन् १९१४) या मध्यप्रदेश जिल्क पशु परिरक्षण ग्रधिनियम, १९५६ (क्रमांक १८ सन् १९५६) के ग्रधीन किसी ग्रपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है; या
 - (घ) यदि उसे सरकार की या किसी ऐसे निगम की, जिस पर केन्द्रोय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व या नियंत्रण है, मेवा से हटा दिया जाता है या पदच्युत कर दिया जाता है; या
 - (ङ) यदि वह कि ते ऐसी रीति में कार्य करता है जो निगम के हित के प्रतिकूल है या किसी ऐसे निकाय, संस्था या संगट ते में कोई हित रखता है जिसके कियाकलाप निगम के हित के प्रतिकूल हैं.
- (२) यदि निगम का कोई निदेशक उपधारा (१) में बणित निर्हताओं में से किसी भी निर्हता से प्रस्त हो जाता है तो वह राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस ग्रांशय की ग्रंधिसूचना की तारीख से निगम का निदेशक नहीं रहेगा.
 - (१) यदि कोई नामनिदिष्ट निदेशक—

नामनिदिष्टं निर्देश शकों द्वारा पद का रिक्त किया जाना

- (क) धारा म में वर्णित निरर्हताओं में में किसी निरर्हता के अध्यधीन हो जाता है; या
- (ख) बोर्ड की इजाजत के बिना, उसके तीन से ग्रधिक कमवर्ती सम्मिलनों में ऐसे कारण के बिना अनुपस्थित रहता है जो उसकी अनुपस्थिति की माफी के लिये, राज्य सरकार की राय में, पर्याप्त है,

तो राज्य सरकार यह घोषित कर सकेगी कि उवत निदेशक के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने इस ग्राशय की ग्रधिसूचना की तारीख से ग्रपना पद रिक्त कर दिया है ग्रौर तदुपरि उसका स्थान रिक्त हो जाएगा.

- (२) कोई ऐसा निदेशक, जिसका पद उपधारा (१) के ग्रधीन रिक्त घोषित कर दिया गया हो, बोर्ड में निर्धेशक के रूप में पुन: नामनिदिष्ट किया जाने के लिये या निगम में किसी भी हैसियत में नियोजित किया जाने के लिये पाल जहीं होगा.
 - १०. (१) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और वह-

प्रबंध निदेशक.

- (एक) निगम का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।
- (दो) ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि बोर्ड उसे प्रत्यायोजित करे या सौंपे;
- (तीन) ऐसा बेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा ग्रीर सेवा के ऐसे निवन्धनोंतथा शर्तों द्वारा शासित होगा कि निगम, राज्य अरकार के अनुसोदन से, श्रवधारित करें

परन्तु प्रथम प्रवंध निदेशक ऐसा वेतन तथा भत्ते प्राप्त करेगा श्रीर सेवा के ऐसे निवंधनों तथा गाँ। द्वारा शासित होगा। जैसी कि राज्य सरकार श्रवधारित करे.

(२) राज्य सरकार, कोई कारण बताए विना, प्रबंध निदेशक को किसी भी समय पद से हुटा सकेगी.

प्रबंध निदेशक के पद में ग्राकश्मिक रिक्तियां।

99. यदि प्रबंध निदेशक, ग्रंग-शैथिल्य के कारण या ग्रन्यथा, ग्रपने कर्तव्यों का पालन करने में ग्रसमर्थ हो जाता है या छुट्टी पर होने के कारण या ग्रन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में जिनमें उसके पद की रिक्ति ग्रन्तर्वेलित नहीं है, अनुपस्थित रहता है तो राज्य सरकार उसकी अनुपस्थित के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी.

निदेशक का पारिश्रमिक.

१२. धारा १० में अन्यया उपबंधित के सिवाय, निदेशकों को बोर्ड के या उसकी समितियों में से किसी समिति के सिम्मिलन में हाजिर होने के लिये तथा निगम का कोई अन्य कार्य करने के लिये ऐसी फीस तथा भत्तों का संदाय किया जाएगा जिनका कि विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए:

परन्तु अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक को या किसी अन्य निदेशक को, जो राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार का मंत्री या पदाधिकारी है, इस धारा के अधीन कोई फीस देय नहीं होगी.

बोर्ड के सम्मिजन.

१३. (१) बोर्ड ऐसे समयों पर तथा ऐसे स्थानों पर समिमलन करेगा और अपने सम्मिलनों में कामकाज के संपादन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं:

परन्तु बोर्ड प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगा.

- (२) बोर्ड का अध्यक्ष या, उसकी अपुरिश्वति में कोई अन्य ऐसा निदेशक, जो सम्मिलन में उपस्थित निदेशकों द्वारा चुना गया हो, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा.
- (३) बोर्ड के किसो सम्मिलन के समक्ष ग्राने वाले समस्त मामले, उपस्थित तथा मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे ग्रीर मतों के बरावर-बराबर होने की दशा में, सम्मिलन की ग्रध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दितीय या निर्णायक मत होगा.
- (४) यदि बोर्ड किसी विजिष्ट मामले पर किसी व्यक्ति की सलाह या राय लेना ग्रावश्यक समझता है. तो बोर्ड ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के किसी सम्मिलन में हाजिर होने के लिये ग्रामंद्रित कर सकेगा. ऐसे ग्रामंद्रित व्यक्ति को ऐसे सम्मिलन में की किसी भी चर्चा में भाग लेने का ग्राधकार होगा किन्तु उसे ऐसे सम्मिलन में मत देने का ग्राधकार नहीं होगा.

बोर्ड की समितिया.

- १४. (१) बोर्ड इतने निवेशकों से, जितने कि विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, मिलकर बनने वाली एक या अधिक कार्यकारिणी समितियां इस हेतु से गठित कर सकेंगा कि वे ऐसे कृत्यों का निवेहन करें जो उन्हें बोर्ड द्वारा प्रत्या-योजित किए जाएं.
- (२) बोर्ड, निगम के कियाकलापों से संबंधित ऐसे प्रयोजनों के लिये, ऐसी समितियां, जैसा कि वह विनिश्चित करे, गठित कर सकेगा जो या तो पूर्णतः निदेशकों से या पूर्णतः अन्य व्यक्तियों से, जैसा कि वह ठीक समझे, मिलकर बनेंगी.
- (३) किसी समिति के ऐसे सदस्यों को, जो निगम के निदेशकों से भिन्न हों, उसके सम्मिनित में हाजिर होने के लिये तथा निगम का कोई अन्य कार्य करने के लिये निगम द्वारा ऐसी फीस और/या भतों का संदाय किया जाएगा जिनका कि विनियमों द्वारा उपबंध किया जाए.

बोर्ड का या उसकी समिति का सदस्य कतिपय मामलों में भाग नहीं लेगा या उनमें मत नहीं देगा. १५. निगम का कोई ऐसा निदेशक या किसी समिति का कोई ऐसा सदस्य, जो बोई के या उस की किसी समिति के सिम्मलन में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में धन संबंधी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित रखता है, अनि हित की प्रकृति को ऐसे सिम्मलन में प्रकट करेगाओर ऐसा प्रकटन यथास्थिति बोई या समिति के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जाएगा; और ऐसा निदेशक या सदस्य उस मामले के संबंध में बोई था समिति द्वारा किए जाने वाले किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में, ऐसा स्पष्टीकरण, जिसकी उससे अपेक्षा की जाय, देने के सिवाय, कोई भाग नहीं लेगा.

प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होगा. 9६. निगम की और से कार्य करने वाला प्रबंध निदेशक नियुक्ति प्राधिकार समझा जायमा और वह निगम द्वारा नियोजित समस्त कर्मवारी वृन्द के नारे में ऐसे प्राधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रबंध निदेशक द्वारा इस संबंध में किए गए आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसी रीती में होगी हो विनियमों द्वारा उपबंधित की जाए

१७. (१) धारा २६ के उपबंधों के ग्रध्यधीन रहते हुए, कोई ऐसा पदधारी, जो निगम की प्रार्थना पर राज्य सरकार द्वारा अपने किसी विभाग से निगम को स्थायी रूप से या ग्रस्थायी रूप से स्थानान्तरित किया गया है, उपदान (ग्रेच्युटी) संबंधी, पेंशनिक फायदों तथा किन्हीं अन्य फायदों संबंधी समस्त ऐसे विशेषाधिकारों का उपभोग करेंगा जिनका कि वह पदधारी राज्य सरकार में के अपने मूल विभाग में सेवा करते रहने की दशा में हकदार होता.

सरकारी विभाग से निगम को स्थातां-तरित किये गये कर्मचारी की सेवा की शर्ते.

(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किया गैया कोई पदधारी, निगम में नियोजित रहने की स्रविध के दौरान निगम के अनुशासनिक नियंत्रण के अध्यधीन रहेगा.

ग्रध्याय ४---निगम का कामकाज तथा वे उधार जिन्हें निगम ले सकेगा.

१८ निगम का मुख कामकाज होगा पशुधन और पशुधन उत्पादों (दुग्ध और दुग्ध उत्पादों को छोड़कर) वह कामकाज जो का तथा कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन, उपापन (प्रीक्योरमेन्ट), संग्रहण, पालन-पोषण ग्रीर विपणन निगम कर सकेगा. करना श्रीर पशुधन तथा कुक्कुट का संरक्षण, प्रबंध ग्रीर विकास करना जिससे कि राज्य में पशुधन तथा कुक्कुट उत्पादन अमें सुघार हो सके, उसकी सम् दि हो सके ग्रीर उसमें वृद्धि हो सके.

१६. (१) निगम, निधियां जुटाने के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार के पूर्व ग्रनुमोदन से, ब्याज बन्धपत्न निगम की उधार भीर डिबेन्चर पुरोधत कर सकेगा भीर बेच सकेगा:

लेने की शक्ति.

परन्तु प्रोध्त और परादेय बन्धपत्नों भीर डिबेन्चरों की तथा निगम के म्रन्य उद्यारों की कुल रकम, राज्य सरकार के अनुभोदन के बिना किसी भी समय उस पूंजी की रकम के चार गुने से अधिक नहीं होगी जिसका कि उपबंध राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन किया गया हो.

- (२) निजम, इस अधिनियम के अधीन के अपने कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिये,-
 - (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से और किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण या संगठन या संस्था से, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हो, ऐसे निबन्धनों ग्रीर शतौं पर धन उधार ले सकेगा जैसी कि करार पाई जाएं;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से या किसी अनुसूचित बैंक या किसी व्यक्ति से ऐसे निक्षेप, जो उस तारीख से, जिसको कि ऐसे निक्षेप किये जाएं, ऐसी कालावधिका जो बारह मास से कम की नहीं होगी, अवसान होने के पश्चात् प्रतिसंदेय होंगे, ऐसे निवन्धनों पर प्रतिगृहीत कर सकेगा जिन्हें कि निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नियत करे.
- (३) राज्य सरकार निगम के उन बंधपत्नों तथा डिबेन्चरों को, जो उपधारा (१) के ग्रधीन पुरोधत किए गए हों भीर निगम द्वारा उपधारा (२) के खण्ड (क) तथा (ख) के अवीन लिए गए उद्यार तथा निदीमों की, गुलंधन का प्रतिसंदाय किये जाने के बारे में तथा ब्याज का संदाय ऐसी दर से किए जाने के बारे में प्रत्याभत कर सकेगी जो बंधपतों या डिबेन्चरों के पुरोध्त किए जाने के समय निगम के निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए.
- (१) निगम अपनी सेवायों के लिये पारिश्रमिक, जिसके ग्रंतर्गत संकर्मी की वह लागत ग्राती है जो निगम निधि के ग्रन्य द्वारा इस ग्रधिनियम के ग्रधीन उपनत की गई हो, प्राप्त कर सकेगा तथा राज्य सस्कार से या किसी व्यक्ति से दान, अनुदान, सहायिकी, संदाय या कोई उपकृतियां (बेनीफेक्सन्स) प्रतिगृहीत कर सकेगा.

(२) राज्य सरकार निगम के उपयोग के लिए निगम को भवन, भूमि, मशीनरी या कोई ग्रन्य जंगम या स्थावर संपत्ति भी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर अन्तरित कर सकेगी जो राज्य सरकार ठीक समझे.

ग्रध्याय ५--परियोजनाशों का निष्पादन.

२१. निगम संकर्मी को स्वयं या किसी अन्य अभिकरण की मार्फत निष्पादित कर सकेगा.

'संकर्मी का निष्पादन.

मध्याय ६-वित्तीय प्राक्कलन, निधियां, लेखे तथा संपरीक्षा.

२२. (१) निगम, प्रत्येक वर्ष के संबंध में, अपने कियाकलापों के कार्यक्रम का विवरण तथा साथ ही वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें उस वर्ष के लिये निगम की प्राक्कलित प्राप्तियां तथा व्यय विस्तारपूर्वक दर्शाये जायेंगे, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा.

क्रियाकलापों कार्यंत्रम त्या वित्तीय प्राप्तकलन प्रस्तुत किया

(२) निगम उपधारा (१) में निर्दिष्ट किये गए विवरण तथा प्राक्कलन को राज्य सरकार के अनुमोदन से पुनरीक्षित या उपान्तरित कर सकेगा.

- (३) निगम आगामी वर्ष के दौरान निष्पादित किए जाने वाले कार्यक्रम तथा विभिन्न क्रियाकलापों संबंधी परियोजना के, ब्योरे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करेगा.
- (४) राज्य सरकार या तो परियोजना को अनुमोदित कर सकेगी या उसका अनुमोदन ऐसे उपान्तरणों के साथ कर सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे अथवा उस परियोजना को उपान्तरित किए जाने हेतु या ऐसे निदेशों के अनुसार; जैसे कि राज्य सरकार समुचित समझे, नई परियोजना तैयार किए जाने के हेतु वह परियोजना निगम को लौटा सकेंगी.

निगम की निधि.

- २३. (१) निगम की अपनी स्वयं की निधि होगी और वह उसे बनाए रखेगा, तथा निगम की समस्त प्राप्तियां उसमें जमा की जाएंगी तथा निगम द्वारा समस्त संदाय उसमें से किए जाएंगे.
- (२) निगम की निधि का उपयोजन निगम द्वारा अपने सनस्त प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करने के लिये तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये किया जाएगा.
- (३) निगम ऐसी राशियां, जिनकी कि उसे अपनी संक्रियाओं के लिए आवश्य ता हो, किसी बैंक में निक्षिप्त कर सकेगा और अधिशेष ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, विनिहित किया जा सकेगा.

निगम के तुलन-पत्नों भ्रादि का तैयार किया जाना.

- २४. (१) बोर्ड निगम की बहियों तथा लेखाओं को, जैसे कि वे प्रतिवर्ष तीस जून को हो, संतु लित करवाएगा तथा बंद करवाएगा.
- (२) निगम का तुलन-पत्न तथा लेखे ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे तथा बनाए रखे जायेंगे जो विनियमों द्वारा विहित की जाए.

प्रधिशेष लाभ का श्रावंदन.

- २५. (१) निगम एक आरक्षित निधि स्थापित करेगा जिसमें उसके वार्षिक शुद्ध लाभों का ऐसा भाग जिसे निगम ठीक समझे, प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा.
- (२) ऐसी ग्रारक्षित निधि के लिए तथा डूबंत ग्रीर शंकास्पद ऋणों के लिये ग्रीर समस्त ऐसे ग्रन्य विषयों के लिये जिनके कि लिए कंपनी ग्रधिनियम, १९४६ (१९४६ का सं. १) के ग्रधीन रजिस्ट्रीकृत तथा निगमित कंपनिय द्वारा प्रायिक रूप से उपबंध किया जाता है, उपबंध करने के पश्चात् निगम के वार्षिक शुद्ध लाभों के ग्रतिशेष का संदाय राज्य सरकार को किया जाएगा.

लेखे तथा संपरीक्षा.

- २६. (१) निगम, उचित लेखा बहियां तथा ऐसी अन्य बहियां जो नियमों द्वारा अपेक्षित हों, रखवाएगा तथा लेखाओं का बार्षिक विवरण विहित रीति में सैयार करेगा.
 - (२) निगम अपने लेखाओं की संपरीक्षा प्रतिवर्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा करवाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे.
- (३) जैसे ही निगम के लेखायों की संपरीक्षा हो जाती है, निगम उनकी एक प्रति, उनके संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ, राज्य सरकार को भेजेंगा और लेखाओं को विहित रीति में प्रकाशित करवाएगा और उनकी प्रतियां युक्तियुक्त कीमत पर विकय के लिये रखेगा.
- (४) निगम ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार, संपरीक्षक की रिपोर्ट का परिशीलन करने के पश्चात जारी करना ठीक समझे.

विवरणियां

- २७. (१) निगम राज्य सरकार को समय-समय पर ऐसी विवरणियां देगा जिनकी कि राज्य सरकार अपेक्षा करें.
- (२) निगम, राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष के संबंध में तुलनपत्न की, जैसा कि वह उस वर्ष की समाप्ति के समय हो एक प्रति तथा उसके साथ ही उस वर्ष का लाभ ग्रौर हानि लेखा तथा निगम के कार्यकरण संबंधी रिपोर्ट, जिसमें उस वर्ष के दौरान की उसकी नीति तथा कार्यक्रम सम्मिलित होगा, उस तारीख से, जिसको कि निगम के वार्षिक लेखे बन्द कियेजाते हैं, तीन मास की कालावधि के भीतर देगा.
- (३) राज्य सरकार, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र उस रिपोर्ट को तथा धार। २६ के प्रधीन प्राप्त संपरीक्षा रिपोर्ट को विधान सभा के पटल पर रखवाएगी.

अध्याय ७- त्रकीर्ण.

राज्य सरकार की

२८. (१) इस अधिनियम के अधीन अपने अत्यों का निर्वहन करने में, निगम नीति-विषयक ऐसे मामुलों में है निर्देश देने की शक्ति. जिनमें लोकहित अन्तर्प्रस्त हो, ऐसे निदेशों से मार्गदर्शित होगा जैसे कि राज्य सरकार उसे लिखित में दे और यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या वह निदेश नीति-विषयक किसी ऐसे मामल से संबंधित है, जिसमें लोकहित अन्तर्गस्त है, तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय स्रोतिम होगा.

THAT

- (२) जहां निगम उपधारा (१) के अधीन दिए गए राज्य सरकार के निदेशों को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप अत्यक्षतः कोई हानि उपगत करता है, वहां उस हानि की पति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी.
- रह. (१) निगम की स्थापना हो जाने पर तथा उसके प्रचात् राज्य सरकार समय-समय पर, यह निदेश दे सकेगी सरकारी कर्मचारियाँ कि राज्य सरकार के विद्यमान अधिकारियों तथा सेवकों में से ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की, जो उसकी राय में उसकी का भावश्यकता से अधिक हो गए हैं, सेवाएं ऐसी तारीख से, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं (जो इस धारा में इसके स्वानान्तरण. पश्चात् नियत तारीख के नाम से निर्दिष्ट है), समाप्त हो जाएंगी श्रीर उसके पद उत्सादित हो जाएंगे, श्रीर वे उस तारीख को (जो भिन्न-भिन्न ग्रधिकारियों तथा सेवकों के लिये भिन्न-भिन्न हो सकेंगी) निगम के ग्रधिकारी या सेवक हो

- (२) राज्य सरकार का ऐसा प्रत्येक स्थायी या ग्रस्थायी कर्मचारी, जिसके संबंध में उपधारा (१) के प्रधीन निदेश जारी किया जाता है, नियत तारीख को तथा नियत तारीख से किसी ऐसे स्थायी या ग्रस्थायी पद पर, जो नियत तारीख से निगम की स्थापना में सुजित हो जाएगा, नियम का यथास्थिति स्थायी या ग्रस्थायी कर्मचारी हो जाएगा.
- (३) इस प्रकार स्थानान्तरित किया गया कोई ग्रधिकारी या सेवक, निगम के ग्रधीन पद उसी प्रविध के लिए। उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं अन्य शर्ती पर ग्रीर पेंशन, उपदान (ग्रेच्युटी), भविष्य निधि तथा ग्रन्य बातों के संबंध में उन्हीं अधिकारों तथा विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जो इस अधिनियम के प्रवृत्त न होने की दशार में उसे नियत तारीख को अनुज्ञेय हुए होते. राज्य सरकार के अधीन उसके द्वारा की गई कोई सेवा निगम के अधीन की गई सेवा समझी जाएगी. वह निगम के अधीन उस समय तक सेवा में बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक कि उसका पारिश्रमिक या सेवा-शर्त निगम द्वारा उस विधि के अनुसरण में, जो तत्समय उसकी सेवा-शर्तों को शासित करती हों, सम्यक्रूप से पुनरीक्षित या परिवर्तित नहीं कर दी जाती:

परन्त किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के मामले में नियत तारीख के ठीक पूर्व लागू सेवा-शर्ती में कोई ऐसा फेरफार, जो उसके लिए ग्रहितकर हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही किया जायगा ग्रन्यथा नहीं.

- उपधारा (१) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के नामे जो धनराशियां, उनके लिए गठित की गई किसी पेंशन; म विष्य निधि, उपवान या वैसी ही निधियों में जमा हों, वे नियत तारीख तक के लिये गोध्य संचित ब्याज सहित तथा ऐसी निधियों से संबंधित लेखाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा निगम की अन्तरित कर दी जाएंगी. नियत तारीख की तथा उसके पश्चात्, निगम, राज्य सरकार को अपवर्णित करके, इस बात के दायित्वाधीन होगा कि वह पेंशन, भविष्य निधि, उपदात या वैसी ही अन्य धनराशियों का, जो ऐसे कर्मचारियों को देय हों, समुचित समय पर संदाय उनकी सेवा-गती के अनुसार करे.
- (५) उपघारा (१) में अन्तिविष्ट कोई भी बात किसी ऐसे कर्मचारी को लागू नहीं होगी जो निगम का कर्मचारी म बनने या निगम का कर्मचारी न बने रहने का अपना आशय, नियत तारीख से दो मास के भीतर या बढ़ाए गए ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार, साधारण या विशेष प्रादेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, राज्य सरकार को दी गई लिखित सूचना द्वारा प्रज्ञापित कर देता है. जहां किसी कर्मचारी से ऐसी सूचना प्राप्त होती है, वहां-
 - (क) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, उसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि संबंधी ऐसे फायदे तथा ऐसे ग्रन्य फायदे, जोकि सरकारी सेवा से नियत तारीख को निवृत्त होने की दशा में उसे प्रोद्भूत होते, देकर सेवा-निवृत्त हो जाने दिया जाएगा;
 - किसी ग्रस्थायी कर्मचारी की दशा में राज्य सरकार के विद्यमान सेवा-नियमों के ग्रनुसार उसे सूचना देकर या सूचना के वदले पारिश्रमिक देकर, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी.
 - पूर्वगामी उपवाराग्रों में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी,--
 - पशु चिकित्सा विभाग के नियोजन में के किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित हो या जिसे उसकी सेवा-समाप्ति संबंधी या श्रनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी कोई सूचना या ग्रादेश इस ग्रधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख के पूर्व जारी किया जा चुका हो, निगम में स्थानान्तरित नहीं कियाँ जाएगा, और उक्त तारीख के पश्चात ऐसे व्यक्ति के संबंध में ऐसी रीति में तथा ऐसे प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी जैसा कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष म्रादेश द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे.
 - (ख) यदि राज्य रकार के किसी कर्मचारी की सेवाएं निगम को उपधारा (१) के अधीन अन्तरित हो गई हों, ो ऐसे अन्तरण के पश्चात, निगम इस बात के लिए सक्षम होगा कि वह ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध ऐ । अनुशासनिक या अन्य कार्यवाही, जो वह उचित समझे, ऐसे कर्मचारी के उस समय के, जबिन वह राज्य सरकार की सेवा में था, किसी कार्य या कार्यलोप या ग्राचरण या ग्राभिलेख को ध्यान में एखते हुए करे.

निगम का समापन.

३०. हिनान का समापन राज्य सरकार के ब्रादेश से तथा ऐसी तीति में, जैसी रीति में, जैसी कि वह निदेशित करें। किया जायगा अन्यथा नहीं.

विदेशक की खरिन पूर्तिः

- ३१. (१) प्रत्येत निर्देश की अन्ता ऐसी क्रिनियों तथा व्यन्ते कि जिने, की उसके हारा आने कर्तवाों के निर्देश में निर्देश के निर्वेश के निर्देश के
- (२) कोई निदेशक किसी भी ऐसी हानि या ऐसे व्यथों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो निगम की बोर से अर्जित की गई या ली गई किसी सम्मित या प्रतिमूति के मूल्य की या उस पर के हक की अपर्याप्तता या कभी के कारण अयवा किसी ऋणी के या निगम के प्रति बाद्या जीन किसी व्यक्ति के दिशाले या सदीव कार्य के कारण अथवा उसके संबंध में अपने पद के कर्तव्यों के निज्यादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के कारण निगम को उठाने पड़े हैं।

निवेशकों की नियुक्ति में बुटिया होने के सारस कारों सादि का अविकित्स सान्य में होता.

- ३२. (१) बोर्ड का या बोर्ड को किसी समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण प्रविधिमान्य चहीं होगी कि—
 - (क) यथास्थात बाड या समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई बुटि है; या
 - (ख) निगम के निदेशक के रूप में या समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई सूटि है; या
 - (ग) यथास्थित बोर्ड या समिति की प्रक्रिया में कोई तुंटि या प्रनियम्तितता है.
- (२) निगम के निदेशक के रूप में या बोर्ड की किसी समिति के सदस्य के रूप में सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य को केवल देस आधार पूपर अविधि गन्य नहीं समझा जायगा कि वह व्यक्ति निदेशक या सदस्य होने के लिये निर्राहत था या यह कि उसकी नियुक्ति र किसी हिंदू थी.

निगम के कमंचारी-वृन्द लोक सेवक होंगे. ३३. हिनाम के अधिकारियों और कर्मचारियों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे नगम या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाए, जबिक वे इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध के अनुसरा में कार्य कर रहे हों या जबिक उनका इस प्रकार कार्य करना तारपित हो, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अर

इस अधिनियम के विश्व अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण. २४. इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या संभाव्यतः होने वाला किसी हान या नुकसान के लिये निगम के विरुद्ध या इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियम द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अध्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद या अप्य विधिक क्येंबाही नहीं होगी.

विश्वस्तता तथा योपनीयता की योषणाः

३५. निगम का प्रत्येक निदेशका, संपरीक्षका, प्रधिकारी या विद्या कर्मचारी या राज्य सरकार का कोई ऐसा कर्मचारी, जिसकी सेवाओं का उपयोग निगम द्वारा किया जाता है, प्रपता कर्षं य ग्रहण करने के पूर्व विश्वस्तता तथा गोपनीयता की घोषणा विनियमों द्वारा विद्वित किए गए प्रख्य में करेगा.

शक्तियों डा प्रत्यायोजन. ३६. बोर्ड इस प्रविनियम के इ. श्रीन की अपनी अवितयों तथा कृत्यों में से ऐसी शक्तियां दशा कृत्य; जिन्हें वह प्रावश्यक समझे, बोर्ड की किसी समिति को या निगम के श्रध्यक्ष या प्रकाश निदेशक या किसी अन्य प्रविकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा.

नियम बनाने की ३७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावशील करने के लिये ऐसे नियम बना सकेगी। राज्य सरकार की जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों.

(२) इस धारा के ग्रधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

- इद. (१) निगम, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उन समस्त विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम विनियम बनाने की के अधीन कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और जिनके लिये उपबन्ध किया जाना, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रमानगील निषम की शिवत. करने के प्रयोजन से आवश्यक या समीचीन है, उपबन्ध करते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत ने हुहों.
- (२) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना, ऐसे विनियमों में निम्न-विश्वित विषयों के लिये डपवन्त्र हो सकेंगे, श्रर्थात्:—
 - (क) वह फीस तथा भत्ते जिनका संदाय निदेशकों को किया जा सकेगा;
 - (ख) बोर्ड के या इस अधिनियम के अधीन गठित की गई किसी समिति के समित को समय तथा स्थाव, और ऐसे सम्मिलनों में अनुसरण∕ की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत कामकाज के संपादन के लिये आवश्यक गणपूर्ति भी है;
 - (ग) कार्यकारणी समिति का गठन करने वाखे निदेशकों की संख्या तथा वे कृत्य जिनका कि निवंहन ऐसी समिति द्वारा किया जाएगा;
 - (घा) वे कृत्य जिनका इस अधिनियम के अधीन निर्वेह्न किसी अन्य समिति द्वारा किया जा सकेगा ;
 - (छ) बह फीस तथा भत्ते जिनका कि संदाय किसी समिति के उन सदस्यों को, जो निदेशकों से भिन्न हों, किया जा सकेगा;
 - (च) वह रीति जिसमें प्रबन्ध निदेशक के श्रादेश के विरुद्ध श्रपील बोर्ड के सब्यक्ष की होगी;
 - (छ) बोर्ड की शन्तियों तथा उसके कृत्यों का सिमितियों को था निगम के श्रद्यक्ष, प्रबन्ध निवेशक तथा
 - (ज) निगम द्वारा बन्धपत्नी तथा डिबेंचरीं श्रीर श्रन्थ प्रतिभूतियों के पुरोधृत किए जाने तथा उनका मोचन किया जाने की रीति तथा निबन्धन;
 - (क्ष) वह रीति तथा वे मते जिनके अध्यधीन रहते हुए निगम धन उधार ले सकेगा;
 - (ञा) बहु प्ररूप तथा रीति जिसमें निगम का तुलनपत और लेखे तैयार किए जाएंगे तथा बनाए रखे जाएंगे!
 - (ट) डन विवर्रा यों, विवरणों तथा प्राक्कलनों के प्रख्य जिनका तैयार किया जाना इस ग्रिवनियम के प्रवीत प्रमुखित है;
 - (ठ) निगम के कर्मचारियों के कर्तव्य तथा भाचरण, उनके वेतन, भन्ते श्रीर उनकी सेवा की शर्ते;
 - (ड) निगम के कमैचारियों के लिये भविष्य निविधा या प्रन्य प्रसुविधा निधियों (बैनिफिट फण्ड्स) की स्थापना तथा प्रबन्ध; प्रोर
 - (ढ) बाबारणतथा निगम के कार्यकलापों के दखतापूर्ण संचालन के लिये.

े १९ प्राच्यप्रदेश राज्य पशुष्ठन एवं कृत्सुट विकास निकल प्रध्यादेश, १९८२ (क्रमांच १३ सन् १९६२) निरसन. गुत्रवृहास निरस्त किया जाता है. भोपाल, दिनांक 30 श्रवटूबर 1982

क. 2006-इनकी त-प्र (प्रा.). — भारत है के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं क् नकुट विकास निगम अधिनियन, 1982 (क्रमां हे 37 सन् 1982) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार;

दि. मा. मागवण, उपसचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1982.

THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT VIKAS NIGAM ADHINIYAM, 1982.

TABLE OF CONTENTS

Sections:

CHAPTER I-FRELIMINARY

- Short title and extent.
- 2. Definitions.

CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF NIGAM, ITS CAPITAL AND MANAGEMENT

- 3. Establishment and incorporation of Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam,
- Head Office of the Nigam.
- 5. Capital of Nigam.

CHAPTER III—MANAGEMENT OF THE NIGAM

- Management.
- Constitution of Board. 7.
- Disqualifications for being a Director of the Nigam.
- Vacation of office by nominated directors.
- Managing Director. 10.
- Casual vacancies in the office of the Managing Director.
- Remuneration of directors.
- 13. Meeting of Board
- 14. Committees of the Board.
- 15. Member of Board or Committee thereof not to pa ticipate or/ vote in certain cases.
- Managing Director to be appointing authority.
- Condition of service of employees transferred to the Nigam from Government department.

Sections:

CHAPTER IV—BUSINESS AND BORROWING OF THE NIGAM

- 18. Business which the Nigam may transact.
- 19. Borrowing power of the Nigam.
- 20. Other sources of funds.

CHAPTER V-EXECUTION OF PROJECTS

21. Execution of works.

CHAPTER VI-FINANCIAL ESTIMATES, FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

- 22. Submission of programme of activities and financial estimates.
- 23. Funds of the Nigam.
- 24. Preparation of balance sheets etc. of the Nigam.
- 2). Allocation of surplus profit.
- 26. Accounts and Audit.
- 27. Returns.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

- 23. Power of State Government to give directions.
- 29. Transfer of Government employees to the Nigam.
- 30. Liquidation of the Nigam.
- 31. Indemnity of Director.
- 32. Defects in appointment of directors not to invalidate acts, etc.
- 33. Staff of the Nigam to be public servants.
- 34. Protection of action under the act.
- 35. Declaration of fidelity and secrecy.
- 36. Delegation of powers.
- 37. Power of the State Government to make rules.
- 38. Power of the Nigam to make regulations.
- 39. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1982

THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT VIKAS NIGAM ADHINIYAM, 1982.

[Received the assent of the Governor on the 30th October 1982; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)" dated the 30 October 1982.]

An act to establish a Corporation for the execution of projects with a view to developing and providing for the scientific management of the livestock and poultry resources of the State and matters connected therewith.

BE it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I-PRELIMINARY

Short title and extent.

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhiniyam, 1982.
 - (2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "bank" means—
 - (i) a banking company as defined in the banking Regulation Act 1949 (No. 10 of 1949);
 - (ii) a schedules bank as defined in the Reserve Bank of India Act, 1934 (II of 1934);
 - (iii) a financing bank as defined in the Madhya Pradesh

 Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961);
- (b) "Board" means the Board of Directors of the Nigam constituted under section 7;
- (c) "financing institution" means any statutory corporation or other body corporate established in India which as one of the objects of the financing of agricutture in India and which is notified by the State Government to be a financing institution for the purposes of this Act:
- (d) "land" shall have the same meaning as assigned to that expression under the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
- (e) "Nigam" means the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam established under this Act;
- (f) "Project" means any project of or scheme for livestock and poultry development approved under section 22;
- (g) "regulations" means regulations made by the Nigam under section 38:
- (h) "year" means a period commencing from the 1st July and ending on the 30th June every year.

CHAPTER II—ESTABLISHMENT OF NIGAM, ITS CAPITAL AND MANAGEMENT

3. (1) With effect from such date as the State Government may by Establishment notification appoint, there shall be established for the purposes of this tion of the Act a Nigam to be known as the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Madhya Pra-Fvam Kukkut Vikash Nigam.

(2) The Nigam shall be a body corporate with the name aforesaid Evam Kukkut having perpetual succession and a common seal, with power, subject to Vikas Nigam. provision of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and shall by the said name sue and be sued.

4. The head office of the Nigam shall be at Bhopal.

Head office of the Nigam.

5. (1) The authorised capital of the Nigam shall be such sum not Capital of exceeding two crore of rupees as the State Government may, fix, from time to time.

(2) In respect of such sum as may be provided by the State Government as capital of the corporation, the State Government shall have power to impose such terms and conditions as it may deem fit.

CHAPTER III-MANAGEMENT OF THE NIGAM

- 6. (1) The general superintendance, direction and management of Management. the affairs and business of the Nigam shall vest in the Board of Directors which may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Nigam under this Act.
- (2) The Board of Directors, in performing its functions shall act on business principles, regard being had to public interest, and shall be guided by such directions on questions of policy as may, from time to time, be given to it by the State Government.
- 7. (1) The Board of Directors of the Nigam shall consist of the Constitution of Chairman to be nominated by the State Government and the following Board. other directors namely :-
 - (i) The Secretary to Government of Madhya Pradesh, Animal Husbandry Department and if there be no Secretary, then the Special Secretary of that Department, who shall be Vice-Chairman;
 - (ii) The Secretary to Government, Madhya Pradesh Finance Department or his nominee not below the rank of Deputy Secretary;
 - (iii) Director, Veterinary Services, Madhya Pradesh;
 - (iv) The Registrar of Co-operative Societies, Madhya Pradesh:
 - (v) A Managing Director to be appointed under section 10:

- (vi) one Director to be nominated by the State Government to represent banks and financing institutions;
- (vii) one Director have special knowledge or practical experience in respect of livestock and poultry development to be nominated by the State Government;
- (viii) two Directors having practical experience in respect of livestock and poultry production and marketing to be nominated by the State Government;
- (ix) one representative of Scheduled Caste or Scheduled Tribes having practical experience in respect of matter relating to livestock and poultry to be nominated by the State Government; .
- (x) one representative from the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya to be appointed by State Government on the recommendation of the Vice-Chancellor.
- (2) The Chairman or a nominated Director shall hold office during the pleasure of the authority nominating him but the term of his office shall not exceed three years from the date of notification of his nomination. The Chairman or a nominated Director may, however, resign his office at any time, by writing a letter under his hand to the State Government and the Chairman of the Board respectively and the resignation shall be effective from the date of its receipt.
- (3) In the event of the death, resignation, or disqualification or removal of Chairman or a nominated director, the vacancy shall be filled up by nomination as soon as possible.

Disqualification

- 8. (1) A person shall be disqualified for being nominated or for being a Director appointed as, and for being a Director of the Nigam
 - (a) if he is, or at any time has been adjudicated insolvent or has suspended payment of his debts or has compounded with his creditors; or
 - (b) if he is of unsound mind stands so declared by a competent court; or
 - (c) if he is, or has been convicted of any offence under the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (No. 59 of 1960), the Central Provinces and Berar Slaughter of Animals Act, 1915 (IV of 1915), or the Madhya Pradesh Agricultural Central Government or the State Government; or
 - (d) if he is removed or dismissed from the service of the Government or a Corporation owned or controlled by the Central Government or tht State Government; or
 - (e) if he acts in any manner prejudicial to the interest of the Nigam or has any interest in any body, institution or organisation whose ectivities are prejudical to the interest o? the Nigam.
 - (2) If a Director of the Nigam becomes subject to any of the disqualifications mentioned in sub-section (1), he shall cease to be a Director of the Nigam with effect from the date of notification to this effect by the State Government.

9. (1) If a nominated Director,

Vacation of office by nomi-

- (a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in nated Directors.
- (b) is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof without cause sufficient in the opinion of the State Government to expherate his absence,
- the State Government may declare that the said director shall be deemed to have vacated his office from the date of notification to this effect and thereupon his seat shall become vacant.
- (2) A Director whose office has been declared vacant under sub-section (1) shall not be eligible for renomination to the Board as a Director for employment in the Nigam in any capacity.
- 10. (1) A Managing Director shall be appointed by the State Managing Director.
 - (i) be a whole time officer of the Nigam;
 - (ii) exercise such powers and perform such duties as the Board may delegate or entrust to him;
 - (iii) receive such salary and allowances and be governed by such terms and conditions of service as the Nigam may, with the approval of the State Government, determine:
 - Provided that the first Managing Director shall receive such salary and allowances and be governed by such terms and conditions of service as the State Government may determine.
- (2) The State Government may at any time remove the Managing Director from office without assigning any reason therefor.
- 11. If the Managing Director is by infirmity or otherwise, rendered Casual vacancies incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in the office of in circumstances not involving the vacation of his appointment, the Managing State Government may appoint another person to act in his place during his absence.
- 12. Directors, save as otherwise provided in section 10 shall be Remuneration of paid such fees and allowances as may be provided by regulations for Directors. attending the meeting of the Board or of any of its committees and for attending to any other work of the Nigam:

Provided that no fee shall be payable under this section to the Chairman, Managing Director or any other Director who is a Minister or holding an office of the State Government or of the Central Government.

13. (1) The Board shall meet at such times and places and shall Meeting of observe such rules of procedure in regard to transaction of the business Board. at its meetings as may be provided by regulations:

Provided that the Board shall meet atleast once in every three months.

(2) The Chairman of the Board or, in his absence, any other director chosen by the directors present at the meeting shall preside over the meeting.

- (3) All matters which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of the votes of the Director present and voting and, in case of equality of votes, the person presiding of the meeting shall have a second or casting vote.
- (4) In case the Board deems necessary to seek the advice or opinion of any person on any particular matter, the Board may invite such person to attend any meeting of the Board. Such an invitee shall have a right to participate in any discussion but shall have no right to vote at the meeting.

Cozemittees of the Board.

- 14. (1) The Board may constitute one or more executive committees consisting of such number of Directors as may be provided by the regulations for discharging such functions as may be delegated to it by the Board.
- (2) The Board may constitute such committees, whether consisting wholly of Directors or wholly of other persons, as it thinks fit, for such purposes, related to the activities of the Nigam as it may decide.
- (3) The members of a committee other than the Directors of the Nigam shall be paid by the Nigam such fees and/or allowances for attending its meeting and for attending to any other work of the Nigam as may be provided by regulations.

Member of Board reof not to particertain cases,

15. A Director of the Nigam or a member of a committee who has or committee the any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for cipate or vote in consideration at a meeting of the Board or a Committee thereof, shall disclose the nature of his interest at such meeting and the disclosure shall be recorded in the minutes of the Board or of the committee, as the case may be, and the director or member shall not take any part in any deliberation or decision of the Board or the committee with respect to that matter except to furnish such clarification as may be required of him.

Managing Director to be appointing authority.

16. The Managing Director, acting on behalf of the Nigam shall be deemed to be the appointing authority and shall exercise all powers of such an authority in respect of all staff employed by the Nigam. An appeal shall lie to the Chairman of the Board against the order of the Managing Director in this behalf, in such manner as may be provided by regulations.

Condition of service from Government Department.

- 17. (1) Subject to the provisions of section 29 any official transferred of employee trans to the Nigam at the request of the Nigam permanently or temporarily ferred to the Nigam by the State Government from any of their departments, shall enjoy all such privileges of gratuity, pensionary benefits and any other benefits to which that official would have been entitled had he continued to serve in his parent department in the State Government.
 - (2) An official specified in sub-section (1) shall, during the tenure of employment in the Nigam, be subject to disciplinary control of the Nigam.

CHAPTER IV—BUSINESS AND BORROWING OF THE NIGAM

Business which Nigam may tran-

The Principal business of the Nigam shall be production, procurement, collection, rearing and marketing of livestock and livestock products (except_milk_and_milk_products) poultry and poultry products and conservation, management and development of livestock and poultry so as to improve enrich and enhance livestock and poultry production in the State.

19. (1) The Nigam may with the previous approval of the State Borrowing power Government, issue and sell bonds and debentures carrying interest for the purpose of raising funds:

Provided that without the approval of the State Government the total amount of bond and debentures issued and outstanding and of the other borrowing of the Nigam shall not at any time exceed four times the amount of the capital provided by the State Government under section 5.

- (2) The Nigam may, for the purpose of carrying out its functions under this Act:—
 - (a) borrow money from the Central Government or the State Government and from any other authority or organisation or institution approved by the State Government, on such terms and conditions as may be agreed upon; and
 - (b) accept from the Central Government, State Government, a Scheduled Bank or any person, deposits repayable after the expiry of a period which shall not be less than twelve months from the date of making the deposit and on such other terms as the Nigam may, with the prior approval of the State Government, fix.
- (3) The bonds and debentures of the Nigam issued under sub-section (1) and the loans and deposits raised by the Nigam uder clauses (a) and (b) of sub-section (2) may be guaranteed by the State Government as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by the State Government on the recommendation of the Board of Directors of the Nigam at the time the bonds or debentures are issued.
- 20. (1) The Nigam may receive remuneration for its services Other sources of including costs of works incurred by the Nigam under this Act and accept fund. gifts, grants, subsidies, donations or any benefactions from the State Government or from any person.
- (2) The State Government may also transfer to the Nigam buildings, land, machinery or any other movable or immovable property for the use of the Nigam on such terms and conditions as the State Government may deem fit.

CHAPTER V-EXECUTION OF PROJECTS

21. The Nigam may execute the works itself or through any other Execution of works. agency.

CHAPTER VI-FINANCIAL ESTIMATES, FUNDS, ACCOUNTS AND AUDIT

- 22. (1) The Nigam shall, in respect of every year submit to the Submission of Pro-State Government a statement of programme of its activities together gramme of actiwith annual financial statement showing therein the details of the cisl crimate.
- (2) The Nigam may, with the approval of the State Government revise or modify the statement and estimate referred to in sub-section (1)

- (3) The Nigam shall submit each year to the State Government the programme of work and details of the project for different activities which are to be executed during the next year.
- (4) The State Government may, either approve the project or may approve it with such modifications as it may consider necessary or may return it to the Nigam to modify the same or to prepare a fresh project in accordance with such directions as the State Government may deem appropriate.

Fund of the Nigam

- 23. (1) The Nigam shall have and maintain its own fund, and all receipts of the Nigam shall be carried thereto and all payment by the Nigam shall be made therefrom.
- (2) The funds of the Nigam shall be applied by it for meeting all administrative expenses of the Nigam and for carrying out the purposes of this Act.
- (3) The Nigam may deposit with any bank such sums as may be needed by it for its operations and the surplus may be invested in such manner as may be approved by the State Government.

Preparation of balance sheets etc. of the Nigam.

- 24. (1) The Board shall cause the books and accounts of the Nigam to be balanced and closed as on the thirtieth day of June each year.
- (2) The balance sheet and accounts of the Nigam shall be prepared and maintained in such manner as may be prescribed by regulations.

Allocation of surplus profit.

- 25. (1) The Nigam shall establish a reserve fund to which shall be credited every year such portion of its annual net profits as the Nigam thinks fit.
- (2) After making provision for such reserve fund and for bad and doubtful debts and all other matters which are usually provided for by companies registered and incorporated under the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956), the balance of its annual net profits shall be paid to the State Government.

Accounts and Audit

- 26. (1) The Nigam shall cause to be maintained proper books of accounts and such other books as the rules may require and shall prepare annual statement of accounts in the prescribed manner.
- (2) The Nigam shall cause its accounts to be audited annually by such person as the State Government may direct.
- (3) As soon as the accounts of the Nigam have been audited, the Nigam shall send a copy thereof together with a copy of the report of the auditor thereon to the State Government and shall cause the accounts to be published in the prescribed manner and place copies thereof on sale at a reasonable price.
- (4) The Nigam shall comply with such directions as the State Government may after perusal of the report of the auditor think fit to issue.

Returns.

27. (1) The Nigam shall furnish to the State Government, from time to time, such returns as the State Government may require.

- (2) The Nigam shall, in respect of each year, furnish to the State Government, within a period of three months from the date on which the annual accounts of the Nigam are closed, a copy of the balance sheet as on the close of that year, together with a profit and loss account for the year and a report on the working of the Nigam including its policy and programme during the year.
- (3) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of such report cause such report and the audit report received under section 26 to be aid on the table of Legislative Assembly.

CHAPTER VII—MISCELLANEOUS

28. (1) In the discharge of its functions under this Act the Nigam Power of State government to give disshall be guided by such directions in matters of policy involving public ections. interest as the State Government may give to it in writting, and if any question arises whether the direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the State Government thereon shall be final.

- (2) Where the Nigam incurs any loss directly in consequence of carrying out the directions of the State Government under sub-section (1), the same shall be made good by the State Government.
- 29. (1) On and after the establishment of the Nigam the State Transfer of Govern-Government may, from time to time, direct that the services of such of the Nigam. the existing officers and servants of the State Government who in its opinion, are rendered surplus to its requirements, shall stand terminated and their posts shall stand abolished, from such date as may be specified by it (hereinafter in this section referred to as the appointed date), and shall on that date (which may be different for different officers and servants) become the officers or servants of the Nigam.

- (2) Every permanent or temporary employees of the State Government in respect of whom a direction is issued under sub-section (1) shall, on and from the appointed date, be a permanent or temporary employees of the Nigam, as the case may be, against a permanent or temporary post, which shall stand created in the establishment of the Nigam with effect from the appointed date.
- (3) Any officer or servant so transferred shall hold office under the Nigam by the same tenure, at the same remuneration and upon the same other conditions of service and with the same rights and previleges as to pension, gratuity, provident fund and other matters as would have been admissible to him on the appointed date if this Act had not come into force. Any service rendered by him under the State Government shall be deemed to be service rendered under the Nigam. He shall continue to serve under the Nigam until his employment is duly terminated or his remuneration or the conditions of service are duly revised or altered by the Nigam in pursuance of the law which for the time being governs his conditions of service:

Provided that, the conditions of service applicable immediately before the appointed date to the case of any such officer or servant shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the State Government.

- (4) The sums standing to the credit of the employees referred to in sub-section (1) in any pension, provident fund, gratuity or other like funds constituted for them shall be transferred by the State Government to the Nigam along with any accumulated interest due till the appointed date and with the accounts relating to such funds. On and after the appointed date, the Nigam shall, to the exclusion of the State Government be liable for payment of pension, provident fund, gratuity or other like sums as may be payable to such employees at the appropriate time in accordance with the conditions of their service.
- (5) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any employees who by notice in writing given to the State Government within two months from the appointed date or such extended time as the State Government may, by general or special order, specify, intimate his intention of not becoming or continuing as a employee of the Nigam. Where such notice is received from any employee—
 - (a) in case of a permanent employee, he shall be allowed to retire giving him the benefit of pension, gratuity, provident fund and other benefits which may have accrued to him had he retired from the Government service on the appointed date;
 - (b) in case of a temporary employee, his service shall be terminated after giving him notice or remuneration in lieu of notice as per the existing service rules of the State Government.
 - (6) Notwithstanding anything contained in the forgoing sub-section—
 (a) no person employed in the Veterinary Department against whom any disciplinary proceeding is pending or to whom any notice or order of termination of his service or compulsory retirement has been issued before the date of commencement of this Act shall be transferred to the Nigam, and such person may be dealt with after the said date in such manner and by such authority as the State Government may by general or special order specify in this behalf;
 - (b) if the services of any employees of the State Government stand transferred under sub-section (1) to the Nigam, the Nigam shall be competent after such transfer to take such disciplinary or other action as it thinks fit against such employee having regard to any act or omission or conduct or record of such employee while he was in service of the State Government.

Liquidation of the 30. The Nigam shall not be placed in liquidation save by an order Nigam.

of the State Government and in such manner as it may direct.

Indemnity of director.

- 31. (1) Every Director shall be idemnified by the Nigam against all losses and expenses incurred by him, in or in relation to the discharge of his duties except such as are caused by his act or omission which is an offence under any law for the time being in force.
- (2) A director shall not be responsible for any loss or expenses resulting to the Nigam from the insufficiency or deficiency of value of or title to any property or security acquired or taken on behalf of the Nigam or the insolvency or wrongful act of any debtor or any person under obligation to the Nigam or anything done in good faith in the execution of the duties of his office in relation thereto.

- (1) No act or proceeding of the Board or of any committee of Defects in appointment of directors the Board shall be invalid merely by reason of not to invalidate acts etc.
 - (a) any vacancy in or defect in the composition of the Board or committee, as the case may be; or
 - (b) any defect in the nomination of any person acting as a Director of the Nigam or member of the Committee; or
 - (c) any defect or irregularity in the procedure of the Board or Committee, as the case may be.
- (2) No act done by any person acting in good faith as a director of the Nigam or as a member of a Committee of the Board shall be deemed to be invalid merely on the ground that he was disqualified to be a director or a member or that there was any defect in his appointment.
- 33. The Officers and employees of the Nigam or other person as Staff of the Nigam he authorised by the Nigam or the State Common or the State Common as to be public may be authorised by the Nigam or the State Government when acting gervants. or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (No. 45 of 1860).

34. No suit or other legal proceeding shall lie against the Nigam Protection of action or any other person authorised by the Nigam to discharge any functions under the Act. under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in the pursuance of this Act.

35. Every director, auditor officer or other employee of the Nigam Declaration of fidelity and secrecy. or an employee of the State Government whose services are utilised by the Nigam, shall before entering upon his duties, make declaration of fidelity and secrecy in the form prescribed by regulations.

- 36. The Board may delegate to any committee of the Board or to Delegation of the Chairman or Managing Director or any other officer of the Nigam such of its powers and functions under this Act, as it may deem necessary.
- 37. (1) The State Government may make rules not inconsistent Power of the State Government to with the provisions of this Act to give effect to the provisions of this Act. make rules.
- (2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
- 38. (1) The Nigam may, with the previous approval of the State Power of the Nigam Government make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder providing for all matters for which no rules have been framed under this Act and for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

o make regulations.

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for the following matters, namely :-
 - (a) the fees and allowances that may be paid to the directors;

- (b) the times places of the meeting of the Board or of any committee constituted under this Act and the procedure to be followed at such meeting including the quorum necessary for transaction of business;
- (c) the number of directors constituting the executive committee and the functions which such committee shall discharge;
- (d) the functions which any other committee may discharge under this Act;
- (e) the fees and allowances that may be paid to the member of a committee other than directors;
- (f) the manner in which appeal shall lie to the Chairman of the Board against the order of the Managing Director;
- (g) delegation of powers and functions of the Board to the committees or to the Chairman, the Managing Director and other officers of the Nigam;
- (h) the manner and terms of issue and redemption of bonds and debentures and other securities by the Nigam;
- (i) the manner and conditions subject to which the Nigam may borrow money;
- (j) the form and manner in which the balance sheet and accounts of the Nigam shall be prepared and maintained;
- (k) the form of returns, statements and estimates required to be prepared under this Act;
- (l) duties and conduct, salaries allowance and conditions of service of the employees of the Nigam;
- (m) establishment and management of provident fund or other benefit funds for employees of the Nigam; and
- (n) generally for the efficient conduct of the affairs of the Nigam.

Repeal. 39. The Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam Adhyadesh, 1982 (No. 13 of 1982) is hereby repealed.

er (Centre e er (Centre de Guilles Guilles (Mo



122 (एम. पी.) AU | 8 L

पंजी क्रमांक भोपास डिबी हो

माध्याप्रदेशा राजापञ्च

(त्रमाधारग्) प्राधिकार से प्रकाशित

र दिशाल के प्राप्ताल, सीमवार, दिनोक 19 नवम्बर 1984--कार्तिक 28, शके 1906

विधि ग्रौर विधायी कार्य विभाग

क २११११ परनेम् (प्र.) — मन्पप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित ग्रिधिनियम, जिस पर दिनांस १७ नवम्बर १९८४ । प्रतिकार को जानकारी के लिये प्रकाशित सिया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा भादेशानुसार; एम. एम. दुबे, विशेष सचिव.

मध्यप्रदेश ग्रधिनियम

क्रमांक ३७ सन् १६६४.

मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, १६६४.

[दिनांक १७ नवस्वर १६८४ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत (असाधारण)" में दिनांक १६ नवस्वर १६८४ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

क्रियप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम ग्रिधिनियम, १६८२ को संशोधित करने हेतु ग्रिधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह प्रधिनियमित हो :---

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम १६६४ है.

धारा ७ के स्थान २. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुवकुट विकास जियम प्रधिनियम, १६६२ (क्रमांक ३७ सन् १६५२), पर नवीन धारा (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित का स्थापन. की जाए, प्रथात् :—

बोर्ड मा गठन. "७. (१) निगम का निदेशक-बोर्ड, श्रध्यक्ष तथा इतने श्रन्य शासकीय श्रीर श्रशासकीय निदेशकों से मिलकर बनेगा जितने कि राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे.

- (२) शासकीय निदेशकों तथा प्रजासकीय निदेशकों का प्रतिनिधित्व ऐसे ग्रनुपात में होगा जैसा कि राज्य सरकार ध्रवधारित करे
- (३) राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे ुँग्रन्थ निदेशकों में से एक को बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेंगी.
- (४) श्रशासकीय निदेशकों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:--!
 - (क) बैंकों या वितदायी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक;
 - (ख) पशुधन एवं कुक्कुट विकास के वारे में विशेष ज्ञात या व्यावहारिक अनुभव रखने वाला एक निदेशक;
 - (ग) पशुधन एवं कुक्कुट उत्पादन तथा विपणन के बारे में व्यावहारिक म्रनुभव रखने वाले दो निदेशक;
 - (घ) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व करन वाला एक निदेशक जिसे पशुधन एवं कुक्कुट संबंधी विषयों के बारे में व्यावहारिक अनुभव हो;
 - (ङ) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक.
 - (५) श्रष्ट्यक्ष या कोई निदेशक, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा किन्तु उसके पद की श्रवधि उसकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी. तथापि, श्रध्यक्ष या कोई निदेशक कमशः राज्य सरकार को तथा बोर्ड के अध्यक्ष को स्वहस्ता-क्षरित पत्र भेजकर, अपना पद किसी भी समय त्याग सकेगा, श्रीर त्याग पत्र उसके प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होगा.
- (६) ब्राध्यक्ष या किसी निदेशक की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा पद त्याग कर दिए जाने या उसके निर्राहत हो जाने या उसे हटा दिए जाने की दशा में, वह रिक्ति नियुक्ति द्वार यथा संभव शी घ्र भरी जाएगी."

धारा द को संशोधनः ३. मूल ग्रिधिनियम की धारा द की उपधारा (१) में, शब्द "नामानिदिष् किए जाने या" का लोप किया जाए.

धारा ६ का संशोधन. ४. मूल आविनियम की धारा ६ की उपधारा (१) ने, शब्द "नामनिर्दिष्ट" का लोप किया जाए.

निरसन. ५. मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम (संशोधन) म्रध्यादेश, १६५४ (क्रमांक १८ सन् १६५४) एतब्द्वारा निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक १६ नवस्वर १६५४

क. २३३३७-इक्कीस-ग्र**(**प्रा.).—-भारत के संविधान के ग्रनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) **के ग्रनुसरण में मध्य**प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कट विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, १६८४ (कमांक ३७ सन् १६८४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एम. दुबे, विशेष सचिव

MADHYA PRADESH ACT

No. 37 of 1984

THE MADHYA PRADESH RAJYA PASHUDHAN EVAM KUKKUT VIKAS NIGAM (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1984.

[Received the assent of the Governor on the 17th November, 1984; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 19th November, 1984.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follo vs:

- 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut short title. Vikas Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984.
- 2. For Section 7 of the Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Substitution Nigam Adhiniyam, 1982 (No. 37 of 1982), (hereinafter referred to as the Principal Act), new section for
 - (1) The Board of Directors of the Nigam shall consist of a Chairman and Constitution of such number of other official and non-official Directors as the State Govern- Board.
 - (2) The representation of official Directors and non-official Directors shall be in such proportion as the State Government may determine.
 - (3) The State Government may, if it so thinks fit, appoint one of the other Directors as the Vice-Chairman of the Board.
 - (4) The non-official Directors shall include,-

Less

- (a) one Director representing banks or financial institutions;
- (b) one Director having special knowledge or practical experience in respect of livestock and poultry development;
- (c) two Directors having practical experience in respect of livestock and poultry production and marketing;
- (d) one Director representing Scheduled Castes or Scheduled Tribes having practical experience in respect of matters relating to livestock and
- (e) one Director representing the Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidhalaya.
 - (5) The Chairman or a Director shall hold office during the pleasure of the authority appointing him but the term of his office shall not exceed three years from the date of his appointment. The Chairman or a Director may, however, resign his office at any time by writing a letter under his hand to the State Government and the Chairman of the Board respectively and the resignation shall be effective from the date of its receipt.

(6) In the event of the death, resignation or disqualification or removal of Chairman or a Director, the vacancy shall be filled up by appointment as soon as possible.".

Amendment of Section 83. In sub-section (1) of Section 8 of the Principal Act, the words "nominated or" shall be omitted.

Amendment of Section 9.

4. In sub-section (1) of Section 9 of the Principal Act, the vord "nominated" shall be omitted.

Repal.

5. The Madhya Pradesh Rajya Pashudhan Evam Kukkut Vikas Nigam (Sanshodhan) Adhyadesh, 1984 (No. 18 of 1984) is hereby repealed.